कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.(146) / FMDSS / प्रमुवसं / उवसं / सू.प्रौ. / 2017–18 / दिनांक :

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश कमांक प1(81)वन / 2014 दिनांक 31.01.2018 (प्रति संलग्न) से FMDSS (Forest Management & Decision Support System) के अंतर्गत दिनांक 26.01.2018 से (G2C) निम्न सेवाओ को ऑनलाईन करना अनिवार्य कर दिया गया है :–

1. केवल गैर वन क्षेत्रों हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना।
   i. केबल, बिजली लाईन एवं टेलीफोन लाईन।
   ii. उद्योग, अस्पताल, स्कूल, पावर प्लान्ट हेतु
   iii. सडक / हाईवे हेतु।
   iv. अन्य अनुमतियाँ।
2. वन एवं वन्य जीव क्षेत्र में एजुकेशन एवं रिसर्च हेतु अनुमति।
3. वन एवं वन्य जीव क्षेत्रों का भ्रमण हेतु अनुमति।
4. वन्य एवं वन्य जीव क्षेत्रों में वन अपराधों के परिवाद दर्ज करना।
5. गैर वन क्षेत्र से वन उपज परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना।
6. सचिवालय पौधशाला, जयपुर एवं ग्रासफार्म पौधशाला, जयपुर से पौधे प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन राशि जमा कराने की सुविधा।
7. राज्य की पौध शालाओ में पौधों की उपलब्धता की सूचना।
8. वन एवं वन्य जीव क्षेत्रों हेतु राज्य स्तरीय अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार हेतु आवेदन।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.01.2018 के उपरान्त उक्त सेवाओ के कोई भी आवेदन ऑफलाईन नहीं लिए जावेंगे। उप वन संरक्षकगणों को 15 दिवस में सेवाओं के आवेदनों पर निर्णय करना होगा तथा संबंधित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगणों इसकी नियमित मोनिटरिंग करेंगे।

इस कम में निर्देश दिये जाते है कि सभी अधिकारी उनकी SSO ID से Login करने पर Gov. apps में भरे Forest and Wild Life (Icon) के अंतर्गत सभी प्रकार के आवेदन एवं रिपोर्ट अधिकारी के डेश बोर्ड पर उपलब्ध होंगे। विस्तृत रूप से देखने पर आवेदन संबंधी न्यूनतम आवश्यक सूचनाऐं डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी, जो कि निर्णय लेने में सहायक होंगी। अधिकारी आवश्यकता अनुसार मौके का निरीक्षण कर / करवा सकते है। समस्त स्थितियों में आवेदनों का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में करना अनिवार्य होगा।

Sd/-

(डॉ. ए.के. गोयल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.(146) / FMDSS / प्रमुवसं / उवसं / सू.प्रौ. / 2017–18 / 161-192 दिनांक : 2/2/18

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, (वन) शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर ।
6. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास / मुख्यालय / उत्पादन / कैम्पा / FCA/भूसंरक्षण / M&E/वनसुरक्षा / प्रशासन / एन.टी.एफ.पी. / राजस्थान जैव विविधता परियोजना–II राजस्थान,
7. मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / जयपुर / अजमेर / भरतपुर ।
9. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (जयपुर / भरतपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर) / विभागीय कार्य जयपुर, आर.वी.पी. कोटा एवं एफ.पी.आर.पी. जयपुर।

(बिपिन कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.1(81)वन/2014 जयपुर, दिनांक : 31.1.18

आदेश

राज्य सरकार की नीति के अनुरूप ई–गर्वनेन्स के अंर्तगत Forest Management and Decission Support System (FMDSS) http://fmdss.forest.rajasthan.gov.in विकसित किया जा चुका है जिसके अर्न्तगत विभाग की विभिन्न सेवाऐ ऑनलाईन की जा चुकी है।

इस कम में खनिज विभाग द्वारा इस विभाग से खनन हेतु प्राप्त की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण–पत्र को केवल ऑनलाईन ही प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक प 1(81)वन/2014 दिनांक 22.11.2017 से अनिवार्य कर दिया गया है।

इसी कम में विभाग द्वारा नागरिको के लिए (G2C) निम्न सेवाऐं ऑनलाईन की जा चुकी है :–

1. केवल गैर वन क्षेत्रों हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना।
   i. केबल, बिजली लाईन एवं टेलीफोन लाईन।
   ii. उद्योग, अस्पताल, स्कूल, पावर प्लान्ट हेतु
   iii. सडक/हाईवे हेतु।
   iv. अन्य अनुमतियॉ।
2. वन एवं वन्य जीव क्षेत्र में एजुकेशन एवं रिसर्च हेतु अनुमति।
3. वन एवं वन्य जीव क्षेत्रों का भ्रमण हेतु अनुमति।
4. वन्य एवं वन्य जीव क्षेत्रों में वन अपराधों के परिवाद दर्ज करना।
5. गैर वन क्षेत्र से वन उपज परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना।
6. सचिवालय पौधशाला, जयपुर एवं ग्रासफार्म पौधशाला, जयपुर से पौधे प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन राशि जमा कराने की सुविधा।
7. राज्य की पौध शालाओ में पौधों की उपलब्धता की सूचना।
8. वन एवं वन्य जीव क्षेत्रों हेतु राज्य स्तरीय अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार हेतु आवेदन।

उक्त समस्त सेवाओं से नागरिको को विभाग से कार्य कराने में सुविधा होगी तथा विभाग के कार्य त्वरित गति से सम्पादित हो सकेंगे।

अतः दिनांक 26.01.2018 से विभाग की उक्त नागरिक सेवाओं के लिए (G2C) ऑनलाईन आवेदन FMDSS पर करना अनिवार्य होगा। इस तिथि के उपरान्त कोई आवेदन ऑफलाईन स्वीकार्य नहीं होगे। दिनांक 25.01.2018 तक प्राप्त आवेदन पूर्वानुसार ही निस्तारित किये जायेंगे। संबंधित उप वन संरक्षक, ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस में आवेदन पर निर्णय करेंगे। सम्बंधित मुख्य वन संरक्षक एवं संबंधित अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

आज्ञा से

31/01/2018

(योगेन्द्र कुमार दक)
शासन सचिव, वन

APCCF (FP) | FCA | PFC

1.2.18

1/2/18
DCF(IT)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधान मख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, जनसम्पर्क वन विभाग, जयपुर।

(आर.के. खैरवा)
विशेषाधिकारी, वन